

क्र. एफ. ए-3-01-2019-1-पांच (09).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

चूंकि, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित ऐसे बीजकों या बीजक का सम्बन्ध है, की समाप्ति के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट या दोनों के सम्बन्ध में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं होगा।

और, उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि,-

ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए धारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन असुमेलित रहे हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या लोप ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, का सुधार करेगा और कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, यदि ऐसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के मद्दे कर का कम संदाय किया गया है :

परंतु उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरे के सम्बन्ध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जिससे ऐसे ब्यौरे सम्बन्धित हैं या सुसंगत वार्षिक विवरणी के प्रस्तुत किए जाने, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात् आने वाले सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

और, वित्तीय वर्ष 2017-18 भारत में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन का पहला वर्ष था और करदाता अभी भी नई कराधान प्रणाली से स्वयं को सुपरिचित कराने की प्रक्रिया में थे और उक्त सुविज्ञता के अभाव के कारण-

- (i) इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर उपधारा (4) में निर्दिष्ट गुम हुए बीजकों या नामे नोटों के कारण धारा 16 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसका दावा नहीं कर सके ;
- (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत समय के भीतर धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार त्रुटि या लोप का सुधार नहीं कर सकेगा;

जिसके परिणामस्वरूप धारा 16 की उपधारा (4) और धारा 37 की उपधारा (3) के उपबंधों को प्रभावी करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ;

अतः, अब, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम - इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों का दूसरा निवारण) आदेश, 2018 है,-
2. उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक के सम्बन्ध में मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा, जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा मार्च मास, 2019 के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं ।"

3. उक्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों की बाबत त्रुटि या लोप का सुधार सितम्बर मास, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् मार्च मास, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा ।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-01-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-01-2019-1-पांच (09), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-01-2019-1-V(09)

Bhopal, the 8<sup>th</sup> February 2019

WHEREAS, sub-section (4) of section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoices or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 37 of the said Act provides that-

Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay tax and interest, if any, in case there is short payment of tax on account of such error or omission, in return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier;

AND WHEREAS, the financial year 2017-18 was the first year of the implementation of the Goods and Services Tax in India and the taxpayers were still in the process of familiarising themselves with the new taxation system and due to lack of said familiarity-

- (i) the registered persons eligible to avail input tax credit could not claim the same in terms of provisions of section 16 because of missing invoices or debit notes referred to sub-section (4) within the stipulated time;
- (ii) the registered persons could not rectify the error or omission in terms of provisions of sub-section (3) of section 37 within the stipulated time,

as a result whereof certain difficulties have arisen in giving effects to the provisions of sub-section (4) of section 16 and sub-section (3) of section 37;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title—This Order may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Second Removal of Difficulties) Order, 2018.-

2. In sub-section (4) of section 16 of the said Act, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March, 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the financial year 2017-18, the details of which have been uploaded by the supplier under sub-section (1) of section 37 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) of said section for the month of March, 2019.”

3. In sub-section (3) of section 37 of the said Act, after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided further that the rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September, 2018 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) for the month of March, 2019 or for the quarter January, 2019 to March, 2019.”

By order and in the name of governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.